A-46

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/तक्ष–3/ 1981 भोपाल, दिनांक 14-7-2000

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी

मध्यप्रदेश।

विषय:– शासकीय नुकसानी के लिये कर्मचारियों पर जिम्मेदारी का निर्धारण।

संदर्भ:– मध्यप्रदेश शासन का पत्र दिनांक 16.11.77

दिनांक 28.3.2000 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद की बैठक से केवल निचले स्तरों के कर्मचारी ही दंण्डित न हो, दोषी पाये जाने पर उच्च अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे, बावत् लेख किया है।

मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 16.11.77 जो सभी वनमण्डलाधिकारियों को सम्बोधित है में क्षेत्र के अनुसार अधिकारियों को जिम्मेदारी निम्नानुसार ठहराने के निर्देश है :–

1.	यदि बीट में हानि हो तो	बीट गार्ड
2.	यदि एक से ज्यादा बीट से नुकसानी हो तो	रेंज असिटेन्ट तक के अधिकारियों को
	अगर एक सर्कल से अधिक क्षत्र में रेंज तक सीमित नुकसानी हो तो	रेंज आफिसर
4	एक से ज्यादा रेंज में नुकसानी हो तो	वनमण्डलाधिकारी

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि नुकसानी के संबंध में कृपया यह ध्यान रखा जावे कि केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही दण्ति न हो तथा उपरोक्त अनुसार प्रत्येक प्रकरण में गुण दोष के आधार पर अधिकारियो की भी जिम्मेदारी ठहराई जा कर सभी स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

हस्ताक्षर
14-7-2000
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

/तक्ष–3/ 1982 भोपाल, दिनांक 14-07-2000

प्रतिलिपि:– समस्त व.स., मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

कार्यालय वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल (म. प्र.)

हस्ताक्षर
14/7/2000
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/रा.नी 1/ 5072 बैतूल दिनांक 21-7-2000

x:cl.11.dcc

प्रतिलिपि समस्त वन मण्डलाधिकारी बैतूल वृत्त को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
बैतूल वृत्त बैतूल (म.प्र.)